

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
135/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	24.06.2019	22.07.2019

उनवान सरकार बनाम किरोड़ी पुत्र सुल्तान गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बड़वर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का बड़वर ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम बड़वर की राजकीय भूमि गै0मु0 जोहड़ ख0न0 776 कुल रकबा 5.89 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 0.25 है0 पर अतिक्रमी किरोड़ी पुत्र सुल्तान जाति गुर्जर निवासी बड़वर ने अवैध रूप से कांटों व तारबाड़ कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्त पर अतिक्रमी उपस्थित रहा। अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में कांटों व तारबाड़ कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से कांटों व तारबाड़ कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 32.74/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0 776 लगान 1 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपत्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

राजस्थान न्यायालय में मुकदमा नं. 135/2019 का निर्णय दिनांक 22.07.2019

Suman

6
(प्रभुदयाल व्यास)
तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनूं